26. वाहन चलाने का अधिकार

अमरीका के अधिकांश राज्यों में बच्चों को वयस्कों के अन्य अधिकार देने के काफी पहले ही वाहन चलाने का अधिकार दे दिया जाता है। इसके सम्भावित कारण हैं उन वयस्कों के दबाव जो अब अपने बच्चों के ड्राइवर नहीं बने रहना चाहते और वाहन उद्योग तथा उसके दबाव समूह। कई और, शायद अधिकांश राज्यों में बच्चों को कानूनी तौर पर सिगरेट का पैकेट खरीदने की अनुमति के काफी पहले वाहन चलाने की अनुमति मिल जाती है। यह एक बेवकूफी है। मेरा मानना यह है कि वाहन चलाने के लाइसेंस के पहले होने वाली परीक्षाएँ न केवल और कठिन बनाई जानी चाहिए बल्कि लोगों को अधिक बार इन परीक्षाओं को देने पर बाध्य करना चाहिए। वाहन चलाने सम्बन्धी कई अपराधों के करने पर उनके लाइसेंस भी ज़ब्त कर लेने चाहिए। पर किसी भी उम्र के उस व्यक्ति को वाहन चालन की अनुमति मिलनी चाहिए जो यह दिखा सके कि उसे सुरक्षित वाहन चालन का ज्ञान है, कि यह कौशल उसके पास है।

कई लोग आँकड़ों के सहारे बताते हैं कि पच्चीस वर्ष से कम उम्र के लोग कार दुर्घटनाओं में अधिक फँसते हैं। उनका तर्क है कि वाहन चालन का सम्बन्ध दरअसल विवेक से है जो उम्र के साथ ही आता है। अतः हमें वाहन चालन की अनुमति की उम्र कम करने के बदले बढ़ा देनी चाहिए। मेरा उत्तर यह है कि अगर आँकड़े वास्तव में यह सिद्ध करते भी हों तो भी कानून में आँकड़ों के आधार पर इस प्रकार का भेदभाव अन्यायपूर्ण है। आँकड़े यह सिद्ध नहीं करते, कभी कर ही नहीं सकते, कि क्योंकि कोई पच्चीस वर्ष से कम आयु का है, अतः वह एक खराब चालक है या अपने से अधिक उम्र वालों से खराब है। अपनी तेज़ दृष्टि और तत्काल प्रतिक्रिया के कारण वह शायद बेहतर चालक ही हो। इस प्रकार के फैसले सुनाने अगर ज़रूरी हों तो समूहों के लिए शायद सुनाए जा सकते हैं। पर व्यक्तियों के लिए नहीं।

हमारे राजमार्गों (हाइवे) में होने वाली भयावह मौतों को व लोगों का गम्भीर रूप से घायल होने को रोकने के लिए कई ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जो युवा वर्ग के साथ भेदभाव करने वाले कानूनों से बेहतर सिद्ध हों। बल्कि उनसे उन तमाम बच्चों की भी जानें बचाई जा सकती हैं जो फिलहाल सवारियों के

रूप में मरते या घायल होते हैं। इनमें निम्नोक्त कदम भी शामिल हैं: (1) वाहन चालन की अनुमति के लिए अधिक कठोर परीक्षाएँ; (2) शराब के नशे में वाहन चलाने पर अधिक कठोर और अनिवार्य दण्ड; (3) बेहतर कारें यानी ऐसे वाहन जिनके ब्रेक बेहतर हों और जिन्हें चलाना अधिक सुविधाजनक हो; (4) ऐसे वाहन जो टक्कर से इतनी आसानी से न टूटें, जैसे रोवर, वॉल्वो और मर्सीडीज़ बेन्ज़ जो सालों से उपलब्ध हैं; (5) ऐसी कारें जो कम शक्तिशाली हों तथा उनकी शक्ति पर कठोर नियंत्रण हो; (6) गोद व कन्धों की बेल्टों के उपयोग की अनिवार्यता और न उपयोग करने वालों को कठोर दण्ड; (7) वाहन निर्माता व वाहन बेचने वालों की जवाबदेही, अर्थात जनता को यह जानकारी देना कि होने वाली दुर्घटनाएँ किस सीमा तक वाहनों की कमियों के कारण होती हैं; (8) गति सीमा को कम करना, और सड़क निर्माण के अन्य उपाय जैसे गति अवरोधक, खुरदुरी सड़कें आदि, ताकि अपनी जान बचाने के लिए धीमे न चलने वाले लोग अपने वाहनों को बचाने के लिए धीमी रफ्तार अपनाएँ; (9) उन लोगों के लिए नकद या अन्य पुरस्कार जो बिना दुर्घटना किए वाहन चलाते हों; (10) उन लोगों के लिए कठोर पुनर्परीक्षण जो दुर्घटना करें या सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करें; (11) वाहनों की कठोर व ईमानदार सुरक्षा जाँच। और इन उपायों से भी अधिक सूझबूझ भरा काम जो हमें करना चाहिए, और जो जल्दी ही करने पर हम पेट्रोल की कमी से बाध्य भी होंगे, वह है वाहनों और वाहन चालन में कमी लाना - कारों द्वारा तमाम स्थानों पर जाना मुश्किल बना देना और वहाँ पहुँचने के आसान, सस्ते और सुरक्षित सार्वजनिक साधन उपलब्ध करवाना।

एक और बात है जो बच्चों व किशोरों तथा उनके द्वारा शराब पीने और वाहन चलाने के बारे में कहनी चाहिए। वे शराब पीकर तथा/या अविवेकपूर्ण तरीके से वाहन सिर्फ इसलिए नहीं चलाते क्योंकि उनकी उम्र कच्ची है, वे अनुभवहीन हैं या उनमें विवेक नहीं है। वे यह अज्ञान के कारण नहीं बल्कि शेखी बघारने के लिए करते हैं। वे जानते हैं कि जो वे कर रहे हैं वह खतरनाक है। और ठीक इसीलिए वे ऐसा करते हैं। कई बच्चों या किशोरों को लगता है, और शायद यह लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक लगता है, कि वाहन चलाना और दारू पीना, या दोनों ही काम करने का *मतलब है* बड़ों-सा काम करना। अपनी हिम्मत और ताकत को सिद्ध करना। पर यह सब नाटक ही तो है। ऐसे समाज में जो उन्हें बड़े होने का कोई दूसरा रास्ता उपलब्ध न करवाता हो, जहाँ उनकी क्षमता और साहस को जाँचने की दूसरी सार्थक परीक्षाएँ ही न हों, वहाँ दूसरा कुछ हो भी क्या सकता है? अगर वाहनों के प्रति हमारा नज़रिया इतना रूमानी न होकर अधिक व्यावहारिक हो, अगर हम वाहनों को भरोसेमन्द और सुरक्षित

बना सकें ताकि वे पौरुष और यौन-सफलता के ग्लैमर भरे प्रतीक भर न रहें, अगर हम उन्हें नियंत्रित रख सकें, अगर ज़्यादातर वयस्क उन्हें अधिक समझदारी से, सुरक्षित तरीके से चलाएँ, और अगर बच्चों व किशोरों को वयस्क समाज से बाहर न रखकर उनका उसी वक्त स्वागत हो जब वे इसके लिए तैयार हों - तो इन स्थितियों में युवा अपने बड़ों की तरह अच्छे चालक बनेंगे। और क्योंकि उनकी आँखें, शारीरिक प्रतिक्रियाएँ और समन्वय बेहतर होते हैं, कई युवक-युवतियाँ वयस्कों से बेहतर चालक सिद्ध होंगे।

27. कानून, युवा तथा सेक्स

युवाओं समेत सभी लोगों को अपने निजी यौन जीवन व कृत्यों को नियंत्रित करने का अधिकार होना चाहिए। राज्य या सरकार इन मामलों पर नज़र रखे यह अनुचित है। मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो मानते हैं कि वयस्क आपसी सहमति से अपने निजी स्तर पर यौन सम्बन्धी जो भी कृत्य करते हैं उसकी उन्हें छूट होनी चाहिए। यह उनका निजी मामला है। इससे किसी तीसरे व्यक्ति का कोई लेना-देना ही नहीं है। अगर कभी कानून लोगों को आज की तुलना में कम उम्र में स्वतंत्र तथा ज़िम्मेदार नागरिक बनने की छूट दे, तो मैं चाहूँगा कि ऐसे नागरिकों को भी सेक्स के सम्बन्ध में शेष नागरिकों के समान अधिकार हों। बाद में मैं उन युवाओं के अधिकारों के सवाल की भी चर्चा करूँगा जो स्वतंत्र नागरिक न हों और अभिभावकों पर आश्रित जीवन बिताते हों। यह एक और भी कठोर सवाल है।

एक कारण जिसके चलते हम यह अधिकार युवाओं को तो क्या वयस्कों को भी नहीं देते, वह हमारी यह सोच है कि सेक्स गन्दा, खराब और गलत है। हमारा समाज कामुक होने के साथ अतिनैतिक भी है। यह एक खतरनाक सम्मिश्रण है। अमरीका के कई स्थानों में प्रभावी राजनैतिक बहुमत का विश्वास है कि विवाह के तहत बच्चे पैदा करने या विवाह की संस्था को बनाए रखने के अलावा सभी प्रकार के यौनिक कृत्यों को नैतिक तथा कानूनी दृष्टि से अवैध और दण्डनीय अपराध घोषित कर देना चाहिए। अन्य दृष्टिकोणों की ही तरह शायद यह दृष्टिकोण भी तभी खत्म होगा जब इसे मानने वाले लोगों का स्थान भिन्न दृष्टिकोण वाले लोग लेंगे।

बच्चों को उनके सेक्स-जीवन को नियंत्रित करने देने से डरने का एक दूसरा कारण यह भी है कि हम उन्हें "निष्कपट" और "पवित्र" मानते हैं, अर्थात् यौनातीत मानते हैं। हम सोचते हैं कि उनके यौन सम्बन्धी विचार, भावनाएँ या इच्छाएँ होती ही नहीं। यह धारणा उन लोगों की भी है जो वयस्कों के यौन सम्बन्धों को लेकर काफी उदारवादी होते हैं। इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि बच्चों के विषय में उपरोक्त धारणा बहुत छोटे बच्चों के बारे में भी सच नहीं है। और यह दस-ग्यारह साल की उम्र के बाद के बच्चों के लिए तो बिलकुल भी सच नहीं है। कई अध्ययन दर्शाते हैं कि बच्चे अब कम आयु में ही परिपक्व

होने लगे हैं। पर बच्चों के विषय में इस धारणा से हम कई कारणों से चिपके रहते हैं। खासकर इसलिए कि उनमें यौन भावनाएँ नहीं हैं ऐसा मानने से हमारे लिए इसे मानना और इसको अनदेखा करना भी आसान हो जाता है कि हमारे प्रति उनके आकर्षण में यौनिकता का भी पुट है। तब हम प्रेम वस्तुओं के रूप में उनका अधिक आसानी से उपयोग कर पाते हैं। हम स्वयं को विश्वास दिला पाते हैं कि क्योंकि यह असम्भव है, अतः न हम उनका, न वे हमारा उपयोग यौन वस्तुओं के रूप में कर सकेंगे।

कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि यौन कृत्य के परिणाम - गर्भाधान व प्रसव - औरतों को ही भुगतने पड़ते हैं, अतः कानून को उन्हें यौन से सुरक्षा देनी चाहिए। खासकर जब वे छोटी हों ताकि वे अपनी इच्छा के विरुद्ध गर्भवती न बन जाएँ। यह बात ऐसे समाज में ठीक भी लगती है क्योंकि आज हम औरतों को यह तय ही नहीं करने देते कि वे बच्चे चाहती हैं या नहीं या कितने बच्चे चाहती हैं। बल्कि हम उन्हें बच्चे पैदा करने वाली मशीन ही मानते हैं जिसका नियंत्रण पुरुषों तथा राज्य के हाथ में है। आज पहले से कहीं अधिक संख्या में और उत्तरोत्तर कम होती जा रही उम्र में लड़कियाँ, तमाम कानूनों के बावजूद (या शायद उन्हीं के कारण), अपनी इच्छा के विरुद्ध गर्भवती होती हैं और उन्हें ऐसे बच्चे कोख में पालने और जनने पड़ते हैं जिनके साथ वे क्या करें यही उन्हें समझ नहीं आता। इससे उन्हें और निश्चित रूप से उनके बच्चों को कई ऐसी गम्भीर सामाजिक व भावनात्मक समस्याओं को झेलना पड़ता है जिनसे सभी मानवतावादी लोग उनको बचाना चाहेंगे। इसके भी परे अब इस बात के सबूत भी हैं कि कच्ची उम्र में गर्भवती होने से बच्चों के विकलांग होने का ठीक वैसा ही खतरा रहता है जो बहुत बड़ी उम्र में बच्चे होने पर रहता है।

हम इन समस्याओं, खतरों और त्रासदियों से बच सकते हैं बशर्ते हम बच्चों को छोटी उम्र में खुद ही यौन, प्रजनन तथा गर्भनिरोध के विषय में बताएँ या उन्हें यह जानकारी स्वयं तलाश लेने दें। अगर बच्चे दस साल की आयु तक यह जान लेते कि गर्भ कैसे ठहरता है और उससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर गर्भनिरोधक और उनके उपयोग की सलाह चाहने वालों को यह आसानी से उपलब्ध हो जाए, तो सम्भवतः अवांछित गर्भाधान की समस्या का कुछ हल मिल पाता। और अगर इसके भी आगे जाकर प्रसवोत्तर गर्भ निरोधक या पुरुषों के उपयोग की गर्भनिरोधक गोलियाँ बना पाते और उसके उपयोग की सलाह उन लोगों को आसानी से उपलब्ध करवाते जो यह सलाह चाहते हों, तो अवांछित गर्भाधान की समस्या शायद होती ही नहीं। साथ ही, इसके बावजूद ठहर जाने वाले अवांछित गर्भों के गर्भपात के अगर सुरक्षित और सस्ते तरीके उपलब्ध होते तो अवांछित बच्चे हमारे समाज में नहीं होते। और तब यह

मानने का भी कोई कारण नहीं होता कि हमें अनुभवहीन किशोरियों को यौन के खतरों से बचाना है।

कुछ लोगों ने यह भय जताया है कि अगर वयस्कों को नाबालिग पर सहमत बच्चों के साथ यौनक्रिया की अनुमति दे दी जाए तो चरित्रहीन वयस्क उनका यौन शोषण करेंगे। इस कल्पना में जो छवि है वह एक निश्छल बालिका और चरित्रहीन बड़े पुरुष की है; पर एक छोटा लड़का जिसका एक वयस्क महिला से यौन सम्बन्ध स्थापित हो, उसको लेकर लोग कम चिन्तित होते हैं। यहाँ भी वही परम्परागत मिथक हावी है कि यौनिकता केवल पुरुषों में होती है तथा महिलाएँ पवित्र हैं, इसके परे हैं। ज़ाहिर है कि इस धारणा से यह विचार भी पुष्ट होता है कि अगर आयु में बड़े किसी पुरुष के साथ किसी कम उम्र की युवती का सम्बन्ध बनता है तो वह उस पुरुष का शिकार ही होगी।

तीन बेटियों की एक माँ ने मुझे एक बार बताया था कि उसने समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी एक बेटी को तमाम प्रकार की धमकियों के उपयोग से अपने किशोर साथी के साथ सम्बन्ध बनाने से रोका, उसे बचा लिया। बालिका को खुद ना भी नहीं कहना पड़ा। उसे यह कहने की छूट थी कि "मैं तो चाहती हूँ, पर मेरी माँ मेरा कत्ल कर डालेंगी।" पर यह सन्दर्भ ही उस समाज का है जिसमें पुरुष महिलाओं का शोषण करते हैं, उन्हें यौन उपभोग की वस्तुएँ मानते हैं। जिस समाज को मैं प्रस्तावित कर रहा हूँ उसमें यौन के खतरे (बेटियों के लिए) कम होंगे। साथ ही किशोरों पर यह दबाव भी नहीं होगा कि वे जीतें और स्वयं को सिद्ध करें। अगर यौन सम्बन्धों को लेकर हमारी धारणाएँ इतनी खतरों भरी, रूमानी और अल्हादक होने के साथ गन्दी और जुगुप्सा लिए न होतीं तो लोगों को उससे बचाने की आवश्यकता भी कम होती, और ज़रूरत पड़ने पर वे स्वयं को खुद ही बचा लेते। जिन महिलओं को यह लगता है कि उनका अपना कोई मूल्य ही नहीं है और जो अपने प्रति पुरुषों के यौनिक आकर्षण पर निर्भर हैं, वे उस तरह की धमकियों में न आतीं जैसी धमकियाँ आज लड़के लड़कियों के साथ काम में लेते हैं। बल्कि लड़कियाँ ऐसी धमकियों से उनसे दूर हो जातीं। अर्थात् जो युवक धमकियों का सहारा लेता उसकी दाल ही नहीं गलती।

किन्तु ऐसे भी युवा लोग हैं जो स्वतंत्र व ज़िम्मेदार नागरिकों के रूप में जीवन बिता रहे हैं और जिन्हें यौन मसलों में शेष नागरिकों की तरह अधिकार हैं। इसी तरह वे युवा लोग जो आश्रितों के रूप में जी रहे हैं, क्या उनको भी अपने यौन-जीवन को स्वयं नियंत्रित करने का अधिकार होना चाहिए? क्या इस विषय में उनके अभिभावकों का मत कोई मायने नहीं रखता? अगर वे असहमत हों तो

क्या कानून को कोई कदम उठाना चाहिए? अगर हाँ, तो कैसे कदम उठाए जाने चाहिए?

यहाँ मैं स्वयं को तमाम तनावों और आन्तरिक संघर्षों में घिरा पाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि राज्य को लोगों के, चाहे वे बच्चे हों या वयस्क, निजी जीवन में दखल देने का उससे *अधिक* अधिकार हो जितना अब है। इसी तरह मैं यह भी नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति का, चाहे वह छोटा हो या वयस्क, अपने यौन जीवन पर आज जितना नियंत्रण है उससे *कम* नियंत्रण हो। संक्षेप में, मैं यह नहीं चाहता कि कानून कहे कि युवा लोग ऐसे कृत्य नहीं कर सकते जो वास्तव में वे आज भी कर रहे हैं। पर आज यह कहना आसान नहीं है कि राज्य की शक्तियाँ दरअसल क्या हैं। अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि बच्चों और किशोरों के इस सम्बन्ध में मौजूदा अधिकार क्या हैं।

यौनिक आचरण सम्बन्धी हमारे कई कानून अब अपनी मौत मर चुके हैं। वे न तो अब लागू किए जाते हैं, न किसी को उन्हें लागू करने की मंशा या उम्मीद है। कानूनी किताबों में उनका वजूद अभी भी इसलिए है क्योंकि विधायकों के लिए यह राजनैतिक रूप से अधिक सुरक्षित है कि उन्हें हटाने के बदले उनकी उपेक्षा की जाए। क्योंकि अन्यथा उन पर लांछन लगेगा कि वे यौनिक उच्छृंखलता के हिमायती हैं। कई लोगों ने यह लिखित टिप्पणी भी की है कि अगर इन पुराने कानूनों को सख्ती से लागू किया जाता तो हमारी अधिकांश आबादी आज जेल की सलाखों के पीछे होती। सौभाग्य से राज्य वह सब रोकने की कोशिश ही नहीं करता जो कानूनन वर्जित है। जब वह इसे रोकने की कोशिश करता भी है तो इसे रोक नहीं पाता। इन तमाम कठिनाइयों, खतरों और कानून के खतरों के बावजूद लगातार कम से कमतर उम्र के लोग, पहले से कहीं अधिक, आपसी यौन सम्बन्ध बनाते हैं। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। अगर राज्य वह सब करना चाहता है जो उसे दरअसल करना ही नहीं चाहिए, तो वह यह सब जितनी अकुशलता से करे उतना ही बेहतर है। पर दूसरी ओर मझे मृत कानून नापसन्द हैं, ऐसे कानून जिन्हें राज्य लागू तो नहीं करना चाहता पर जिन्हें वापस लेने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। इसका मतलब होता है चुनिन्दा दृष्टान्तों में उन्हें लागू करना। इसका खतरा यह है कि ऐसे कानूनों का उपयोग राज्य केवल उन लोगों को सताने या बन्दी तक बनाने के लिए कर सकता है जिन्हें वह नापसन्द करता हो। कानून हमेशा सुस्पष्ट होना चाहिए और जो वह कहता है वही उसका अर्थ भी होना चाहिए। पर यौन मसलों में ऐसा करने की कोशिश का मतलब होगा राज्य को इन मामलों में दखल देने का कम नहीं बल्कि और अधिक अधिकार देना, जहाँ उसको ऐसा कोई अधिकार दरअसल होना ही नहीं चाहिए।

एक दूसरी चिन्ता भी है। एक ओर तो मुझे लगता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ यौन सम्बन्ध बनाने का कृत्य लापरवाही का न होकर एक ज़िम्मेदार कृत्य होना चाहिए, क्योंकि इसके निश्चित रूप से भावनात्मक परिणाम तो होते ही हैं, भले ही हम भौतिक परिणामों को नियंत्रित कर लें या उनसे बच सकें। इसका तार्किक अर्थ यह होता है कि यौनिक आज़ादी केवल उन लोगों को होनी चाहिए जिन्होंने शेष मामलों में भी ज़िम्मेदारी और स्वतंत्र नागरिक बनने का निर्णय ले लिया है। पर इसका मतलब होगा उन सभी युवाओं को यह अधिकार नहीं मिलना जो आश्रितों के रूप में जी रहे हैं। ऐसे में उन्हें रोकने का काम किसका होगा और वे इसे कैसे करेंगे? इससे वयस्क लगातार जासूसी करेंगे, नज़र रखेंगे, उपदेश या धमकियाँ देंगे। पर यह सब उतना ही अप्रभावी रहेगा जितना आज है। साथ ही बड़ों और छोटों के रिश्ते भी विषैले बनेंगे। यानी उपचार रोग से भी अधिक खतरनाक बन जाएगा। इससे भी खराब यह होगा कि आज जो बुराई मौजूद है, जिसमें कई किशोरियों को किशोरों के साथ यौन सम्बन्ध बनाने पर सालों-साल के लिए जेल में ठूँस दिया जाता है, वह बुराई बरकरार रहेगी। इससे तो हर कीमत पर हमें बचना चाहिए। किसी को बन्दी बनाने का औचित्य केवल तब ही हो सकता है जब व्यक्ति ने किसी दूसरे को गम्भीर नुकसान पहुँचाया हो। किन्तु जो यौन कृत्य पारस्परिक आनन्द के लेन-देन का हो, उसके आधार पर किसी को बन्दी बनाना न केवल भूल है बल्कि नैतिक रूप से गलत भी है।

एक और चिन्ता है। एक ओर तो यह बिलकुल उचित लगता है कि जब तक माता-पिता पर आश्रित कोई बच्चा बच्चा बना रहना चाहता है, तब तक (कम से कम माता-पिता के घर में) उसका यौन जीवन उसके माता-पिता का सरोकार भी हो। अगर उनकी सहमति हो या उन्हें कोई आपत्ति न हो तो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ यौन सम्बन्ध बनाने में कोई समस्या नहीं है। पर अगर उन्हें यह नापसन्द हो, वे इसे अनुचित मानते हों, तो कोई कारण नहीं कि माता-पिता यह सब अपने घर में, अपनी नाक के नीचे होने दें। अप्रधान अभिभावक तो यह कह ही सकते हैं कि "तुम्हारा यौन-जीवन तुम्हारा मामला है। पर इस घर में जो होता है, वह हमारा सरोकार है। और यह हमारे घर में नहीं चलेगा। अतः अगर तुम्हें यह ठीक न लगता हो तो तुम्हें जाना होगा।" वे यह भी कह सकते हैं कि "अगर तुम हमारे संरक्षण में हो, तो हम यह नहीं चाहते कि तुम ऐसा कहीं भी करो। हम इसे अनुचित मानते हैं और इससे हमारी बदनामी होगी।" अगर माता-पिता या अभिभावक दूसरों की तथा खुद अपनी दृष्टि में अपने बच्चों के कृत्यों के लिए ज़िम्मेदार हैं, तो महत्वूपर्ण मसलों में उनके बच्चे क्या करें क्या न करें के विषय में उन्हें भी कुछ कहने का अधिकार

जायज़ ही है। बच्चों के उन अधिकारों को छोड़कर जो राज्य ने खास तौर से उन्हें प्रदत्त किए हों (जैसे मतदान का या काम करने का अधिकार), अगर बच्चे अपने माता-पिता द्वारा बनाए गए नियमों के साथ नहीं जीना चाहते और उन्हें बदलने पर माता-पिता को सहमत नहीं कर पाते, तो उनके पास यह विकल्प तो है कि वे अपने लिए किसी दूसरे अभिभावक को चुन लें या स्वतंत्र जीवन जिएँ।

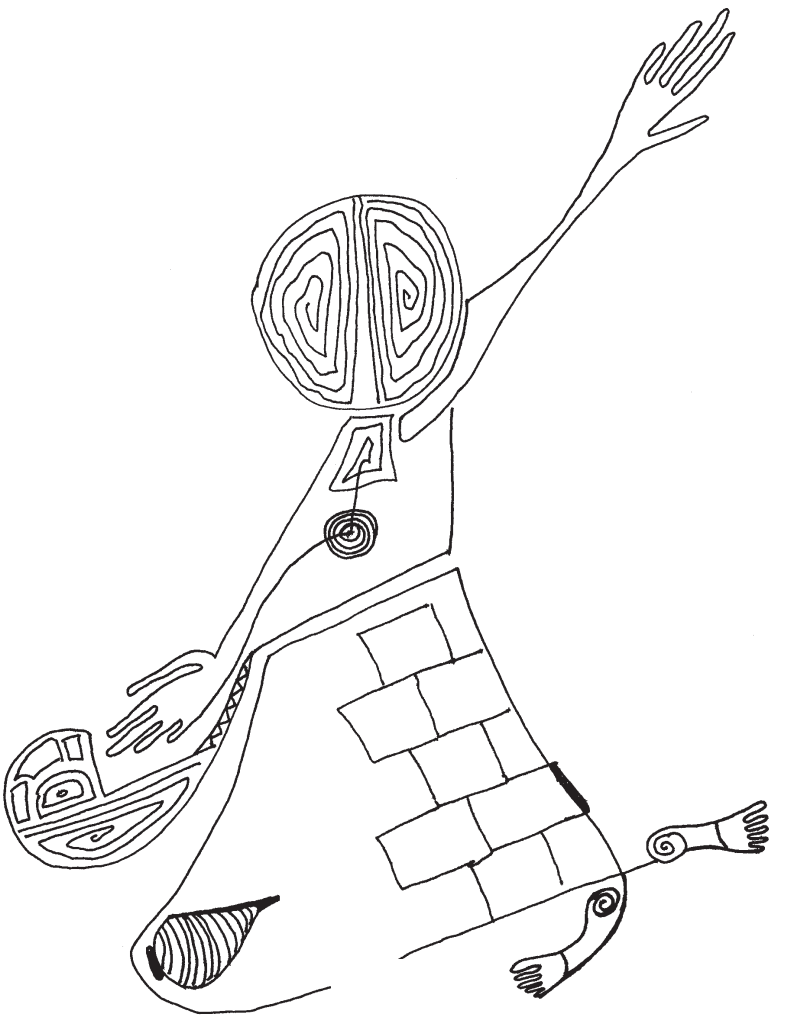

28. कदम जो उठाए जाने चाहिए

पॉल गुडमैन बच्चों और किशोरों को दिए गए अपने भाषणों में कहते थे कि एक सचमुच में भिन्न और बेहतर दुनिया के लिए काम करने का एक अच्छा उपाय है। और वह यह कि हम अपने दैनिक जीवन में यथासम्भव यह मानकर चलें कि वह दुनिया वास्तव में मौजूद है। अगर दुनिया का रूप लगभग वैसा बन जाए जैसा तुम चाहते हो, तो तुम जैसे जिओगे, दूसरों के साथ जैसा आचरण करोगे, ठीक उसी तरह आज जिओ, लोगों से आज भी वैसा ही आचरण करो। अगर इस तरह जीने में कोई अड़चन आए, तो उससे निपटने का कोई उपाय करो। शुरुआत हम इससे कर सकते हैं - हम सभी बच्चों से, चाहे वे कितने ही छोटे क्यों न हों, ऐसा व्यवहार करें जैसा हम अपने बनाए हुए समाज में चाहते हैं।

अव्वल तो हम उनसे शिष्टता बरत सकते हैं। यह उनके लिए कठिन होगा जिन्होंने अनुभव से ताकतवरों के सामने अतिविनम्र और कमज़ोरों से अभद्र व्यवहार करना और उन पर धौंस जमाना सीखा है, या जिन्होंने बच्चों को प्रेम वस्तुओं के रूप में देखना और उनसे अपने पसन्दीदा पालतू कुत्ते या बिल्ली-सा व्यवहार करना सीखा है। क्योंकि शिष्ट आचरण की पहली शर्त है हमारे द्वारा सामने वाले व्यक्ति के आत्मसम्मान और अस्मिता का आदर करना। हमें हरेक बच्चे से तब तक कुछ औपचारिकता बरतनी होगी जब तक हम यह न जान लें कि उसे कैसा बर्ताव पसन्द है। हमें न केवल उसके भौतिक वरन् उसके भावनात्मक स्थान का लिहाज़ भी तब तक रखना होगा जब तक वह स्वयं यह न जता दे कि इन स्थानों में हमारा कितनी दूर तक स्वागत करना चाहता है। यद्यपि शिष्टता का अर्थ औपचारिकता या विनम्रता से कहीं अधिक होता है, फिर भी कम से कम विनम्रता तो होता ही है। हमें बच्चों से "कृपया", "ज़रा माफ करें" या "धन्यवाद" उसी लहज़े में कहना सीखना होगा जिस लहज़े का उपयोग हम दूसरों के लिए करते हैं। हम बच्चों से नौकरों-सा बर्ताव नहीं कर सकते और उनसे उन तमाम कामों और सेवाओं की माँग नहीं कर सकते जिनकी माँग हम अपने हमउम्र लोगों से करने की कल्पना तक नहीं करते। अब क्योंकि बच्चा इस दुनिया में नया होता है और उसे दुनिया को देखने की दृष्टि भी उसके प्रति हमारे व्यवहार से ही मिलती है, यह बेहतर ही होगा कि हम

उसके प्रति अधिक विनम्रता दर्शाएँ। ठीक उन समझदार माता-पिता की तरह जिन्होंने मुझे बताया था कि वे अपने चार वर्षीय पुत्र से ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वह उनके घर में पधारा हुआ, अनजान व विदेशी सभ्यता का अतिथि हो जिसे हमारे तौर-तरीकों का कोई ज्ञान न हो, पर जो उन्हें सीखने को आतुर हो।

विनम्र बनने का एक दूसरा आसान उपाय है बच्चे की एकान्तता (प्राइवेसी) का सम्मान और उसकी सुरक्षा करना। जब तक कानून उसे (कम से कम कागज़ों पर) मनमाने ढंग से तलाशी और जब्ती से सुरक्षा नहीं देता, जैसी सुरक्षा वह हमें देता है, हमें ऐसा आचरण करना चाहिए मानो यह अधिकार उसके पास हो। तमाम अन्य चीज़ों के अलावा इसका मतलब होगा बच्चे के कमरे में बिना उसकी अनुमति माँगे और पाए नहीं घुसना। कई बच्चों के कमरों के बाहर "बाहर रहो!", "खतरा", "निजी क्षेत्र" आदि संकेत लगे होते हैं। इनकी कठोरता पर हम हँस सकते हैं, पर सम्भव है कि वह अपनी एकान्तता और सम्मान की गुहार कर रहा हो जो हमने उसे कभी दी ही नहीं और उसे हमसे इसे पाने की उम्मीद भी नहीं है। ऐसे संकेत टाँगने वाले बच्चे जानते हैं कि उसकी एकान्तता का कोई सम्मान नहीं करेगा और "उसका" कमरा घर के दूसरे कमरों की तरह ही माना जाएगा।

एकान्तता का मतलब अपने खुद के वैचारिक और भौतिक स्थान से होता है। ढेरों लोग यह मानते हैं कि यह उनका अधिकार ही नहीं बल्कि दायित्व भी है कि वे वह सब कुछ जानें जो बच्चा कर या सोच रहा है। वे पूछते हैं, "आज स्कूल में क्या किया?" अक्सर बच्चे का उत्तर होता है, "कुछ नहीं"। यह कहते वक्त उसका मतलब दरअसल होता है, "ऐसा कुछ नहीं जो मैं बताना चाहूँ"। या शायद यह कि "ऐसा कुछ नहीं जिसे मैं तुम्हें बताना चाहूँ (या बताने की हिम्मत करूँ) - कम से कम फिलहाल तो नहीं।" जिन लोगों को वास्तव में यह सुनना अच्छा लगता है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्हें अमूमन यह सवाल पूछना भी नहीं पड़ता।

मैं पहले ही कुछ ऐसे सुझाव दे चुका हूँ जिनसे हम बच्चों को अधिक जानकार, दक्ष और आत्मनिर्भर बनाने को प्रोत्साहित कर सकते हैं। कुछ और सुझाव। लोग दावा करते हैं कि अगर बच्चों के पास अपना पैसा होता और वे उसे अपनी मनमर्ज़ी से खर्च सकते तो वे अपना पैसा बेवकूफी में उड़ा देते या उनसे पैसा ऐंठ लिया जाता, या वे ऐसी चीज़ें खरीद लेते जिसकी कीमत वे चुका ही नहीं पाते। हाल ही में एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, "क्या कोई बच्चा अपना क्रेडिट कार्ड लेकर गोलियों की दुकान में नहीं पहुँच जाएगा और वहाँ से दस डॉलर की टॉफियाँ नहीं खरीद लेगा?" ऐसे सवाल उस भय और असम्मान को दर्शाते

हैं जो आम तौर पर सब वयस्कों में बच्चों के प्रति होता है। मैंने कहा कि मैंने अब तक किसी ऐसे बच्चे को नहीं देखा जो एक बार में दस डॉलर की टॉफियाँ खरीद ले। मुझे शक है कि किसी ने यह कभी किया भी होगा। और फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो वह इस अनुभव से भी कई बातें सीखेगा। वह यह समझ लेगा कि इतनी ढेर सारी टॉफियाँ वह न चाहता है, न खा सकता है। सम्भव है कि वह बची हुई टॉफियाँ स्कूल में अपने दोस्तों को बेच दे और उसे कुछ मुनाफा हो जाए। वह शायद इतना ही सीखे कि पूरे दस डॉलर की सिर्फ टॉफियाँ खरीदना समझदारी का काम नहीं है। पर इस अनुभव से उसे बहुत नुकसान होगा, ऐसा भी नहीं लगता।

बहरहाल जो बच्चा एक ऐसी संस्कृति में पल रहा हो जहाँ पैसा महत्वपूर्ण है तो उसे पैसों के बारे में बहुत कुछ सीखना होगा - लोगों को पैसा कमाने के लिए क्या-क्या करना होता है, किस काम के लिए कितने पैसे मिलते हैं, वे अपनी कमाई को कैसे-कैसे सँभालते हैं। अधिकांश परिवार अपने बच्चों को ऐसे मौके नहीं देते जिनसे बच्चे ये तमाम बातें सीख सकें। ज़्यादातर बच्चे यह जानते तक नहीं कि उनके माता-पिता क्या काम करते हैं, कितना कमाते हैं, उस पैसे को कैसे खर्चते हैं, आदि। पर कई बच्चे यह जानना चाहते हैं और बेहतर हो कि वे यह सब जान लें।

परिवार की वित्तीय व्यवस्था की जानकारी से परे हम, जितना जल्दी हो सके, उसे यह विकल्प दे सकते हैं कि जो राशि हम उस पर खर्चते हैं, उसका कुछ भाग या पूरा ही वह स्वयं नियंत्रित करे। सालों-साल मध्यमवर्गीय माता-पिता अपने बच्चों को काफी कम उम्र से ही जेबखर्च के लिए कुछ निश्चित राशि देते हैं। यह राशि अमूमन बहुत छोटी होती है और बच्चे इसे छुटपुट चीज़ों के लिए खर्चते हैं। यद्यपि कुछ बच्चे इसे इकट्ठा कर, किसी ज़रूरी चीज़ पर भी खर्चते हैं। थोड़े बड़े बच्चों को कुछ ज़्यादा राशि मिलती है जिसे वे कपड़ों या मनोरंजन आदि पर खर्चते हैं। इसके बावजूद माता-पिता बच्चों की तमाम ज़रूरतों और कपड़ों आदि पर खुद खर्च करते हैं और जेबखर्च की राशि का कोई हिसाब नहीं पूछते। हम दरअसल इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। साल-दो-साल तक हम बच्चे की मदद से उस पैसे का हिसाब रख सकते हैं जो उसकी आवश्यकताओं पर खर्च किया जाता है। हम उसे वह राशि सुपुर्द करने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। वह राशि उसके विशेष खाते में डलवा सकते हैं जिसे वह नियंत्रित करे और स्वयं अपनी ज़रूरतों पर खर्चे। कई बच्चों की शायद इसमें खास रुचि भी न हो, पर जिनकी होगी वे कई महत्वपूर्ण बातें सीख सकेंगे। वे अपनी प्राथमिकताएँ तय करना, उनमें से चुनना सीखेंगे। और वे यह सब जितनी जल्दी सीखें, उतना ही अच्छा है। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि हम

बच्चे को अधिक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियाँ स्वीकारने और गम्भीर निर्णय लेने के अवसर उपलब्ध करवाएँ।

मैंने पहले भी कहा था कि बच्चों को अधिक वयस्क मित्र या अपनी आयु से भिन्न आयु वर्ग के मित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आज हम बच्चों को ऐसा करने से कमोबेश रोकते हैं। हम अपने बच्चों को बहुत कम लोगों को जानने की *अनुमति* देते हैं। हम उन्हें केवल हमउम्र दोस्त ही बनाने देते हैं। या फिर ऐसे बच्चों से दोस्ती करने देते हैं जो उनसे कुछ ही बड़े या छोटे हों। हम उन्हें केवल उन्हीं वयस्कों के सम्पर्क में आने देते हैं जो या तो हमारे मित्र हों या उसके मित्रों के माता-पिता हों। ऐसे वयस्क बच्चों को अपने मित्रों के बच्चों या अपने बच्चे के मित्रों के रूप में ही देखते हैं। बिरले ही उन्हें एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए, आठ वर्षीय टॉम के माता-पिता श्रीमती व श्री स्मिथ, सैम के माता-पिता श्रीमती व श्री जोन्स को फोन करते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या सैम उनके घर खाना खाने आ सकता है या किसी पिकनिक पर साथ चल सकता है, या किसी खेल या फिल्म को देखने साथ चल सकता है या नहीं। ऐसे में जोन्स परिवार सोचेगा कि ठीक है, यद्यपि वे यह मानकर चलेंगे कि टॉम स्मिथ भी अपने माता-पिता के साथ जा रहा होगा। किन्तु मान लें कि स्मिथ परिवार का कोई बच्चा टॉम की उम्र का न हो, या उनका कोई बच्चा ही न हो। ऐसे में जोन्स परिवार इस आमंत्रण को ही विचित्र मानेगा और शायद सैम को जाने की अनुमति नहीं देगा। और अगर बच्चे को आमंत्रित करने वाला वयस्क अविवाहित महिला या पुरुष हो और जोन्स परिवार में बेटा न होकर बेटी हो, तो जोन्स परिवार सच में डर जाएगा।

हम बच्चों को हमेशा कहते हैं कि "अजनबियों" से बात न करना। इसका मतलब है कि अपने माता-पिता के मित्र या अपने मित्रों के माता-पिता को छोड़कर शेष सभी वयस्क वर्जित श्रेणी में आते हैं। अर्थात् हम अपने बच्चों को वयस्कों से सीमित प्रकार के सम्बन्ध बनाने की अनुमति देते हैं। इसका कारण निश्चित रूप से भय है। कहीं कोई बड़ा व्यक्ति बच्चे का अपहरण या बलात्कार न करे। उसका शोषण न करे। यह भयावह घटना होगी। पर हम पाएँगे कि अजनबियों द्वारा शोषित किए गए या मार डाले गए बच्चों की संख्या दुर्घटनाओं में मृत या गम्भीर रूप से घायल बच्चों की संख्या से बहुत कम होती है। और उन्हें "अजनबियों से सुरक्षित" करने की प्रक्रिया में हम बच्चों से अपनी उम्र से बड़े लोगों से विविध प्रकार के सम्बन्ध बनाने का अधिकार भी छीन लेते हैं। और यूँ शायद हम उन्हें भारी नुकसान भी पहुँचाते हैं।

जनता में प्रचलित ऐसे व अन्य दृष्टिकोणों को बदलना कठिन है। यह शायद

स्कूलों तथा शिक्षण के प्रति दृष्टिकोणों को बदलने से भी ज़्यादा मुश्किल है। स्कूलों पर एक अर्से से चर्चा और बहस होती रही है। किन्तु बच्चों के प्रति हमारे विचारों और दृष्टिकोणों पर, जिन्हें मैं बदलते देखना चाहता हूँ, कम ही लोग बोलते या सोचते हैं। अतः इस स्थिति में जो महत्वूपर्ण काम हम कर सकते हैं वह है इन विचारों को अधिकाधिक लोगों तक पहुँचाना। साथ ही जो बच्चे हमारे नियंत्रण में हों उन्हें हम अधिक जगहों को देखने, अधिक लोगों को जानने, अधिक विकल्पों में से चुनने, अधिक चीज़ें करने के अवसर दे सकते हैं। संक्षेप में कहें तो हम उन्हें हम पर निर्भरता से हटाकर ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र होने दे सकते हैं। हमारे निजी जीवन में, एक ऐसे समाज में भी जहाँ कानून और दृष्टिकोण इसके विरोधी हों, हम काफी कुछ कर सकते हैं।

सार्वजनिक और राजनैतिक क्षेत्रों में हम जो कदम उठा सकते हैं, उनका आंशिक उल्लेख "लेस स्कूल - मोर वर्क" शीर्षक से *टाइम* पत्रिका के 27 अगस्त 1973 के अंक में छपे लेख में किया गया है। उसका कुछ भाग नीचे उद्धृत करता हूँः

> "प्रत्येक दशक के साथ शिक्षण की अवधि बढ़ती रही है। और शायद तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कोई विचारवान व्यक्ति यह न पूछे कि क्या हमारे पास बच्चों को वयस्कता तक ले जाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है।" यह कथन समाजशास्त्री जेम्स कोलमैन, अध्यक्ष युवामंच, राष्ट्रपति विज्ञान सलाहकार समिति का है। अपनी नई रिपोर्ट में कोलमैन तथा उनके समाजशास्त्री सहकर्मियों ने सुझाया है कि 14 से 24 वर्षीय अमरीकी युवा वर्ग को अधिक काम और कम शिक्षण के अवसर दिए जाएँ।
>
> ...स्कूलों की परिकल्पना में वयस्कों की आवश्यकताओं, जैसे अपने मामलों के प्रबन्धन या किसी भी गतिविधि में सघन रूप से जुड़ने के लिए कोई स्थान नहीं है। न ही ऐसे स्थान हैं जहाँ यह सीखा जा सके कि ज़िम्मेदारी कैसे उठाई जाए या दूसरों के साथ काम कैसे किया जाए।
>
> कोलमैन समिति का कहना है कि स्कूल ऐसी क्षमताएँ विकसित करने में न केवल असफल रहते हैं, बल्कि बच्चों के सारे समय पर हावी रहने के कारण वे यह सम्भावना भी खत्म कर देते हैं कि युवा वर्ग ये कौशल कहीं और से सीख सके...।
>
> ...इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम शिक्षण को सीमित करें और युवाओं को अध्ययन के साथ काम के अवसर दें। गम्भीर कामों

> में भागीदारी, जो विभिन्न पृष्ठभूमियों व आयु के लोगों के साथ किए जाएँ, युवाओं में वयस्क क्षमताओं का विकास करेगी तथा स्कूलों के अलगाव और निष्क्रियता को काट सकेगी।
>
> समिति का सबसे उत्तेजक सुझाव यह है कि बच्चों को स्कूलों से जल्दी निकाला जाए और उन्हें अन्य संगठनों से जोड़ा जाए। अस्पताल, वाद्यवृन्द, डिपार्टमेंटल दुकानों, कारखानों - सभी से आग्रह किया गया है कि वे इस योजना का प्रयोग करें। सोलह साल के किशोरों को लें और उनके श्रम का आवश्यकतानुसार उपयोग करें। साथ ही उन्हें नए कौशल सिखाते हुए उनकी औपचारिक शिक्षा-दीक्षा पर भी नज़र रखें। यह प्रयोग पुरानी प्रशिक्षु या शागिर्दी (एप्रेंटिस) पद्धति की दिशा में भी बढ़ सकता है।
>
> कोलमैन स्वयं समिति के प्रस्ताव के भी आगे बढ़ते हुए सुझाते हैं कि ऐसे कर्मचारी समुदाय बनाए जाएँ जिनमें हर उम्र के लोग हों। ऐसे संगठनों में 5 से 13 वर्ष के एक हज़ार बच्चे हों तो 65 वर्ष तक की आयु के सौ वयस्क.....।

ठीक यही बात पॉल गुडमैन सालों से कहते और लिखते आए थे। यह बात उत्साहवर्धक है कि राजनैतिक सत्ता के केन्द्र के इतने सन्निकट कोई समिति भी इन विचारों का समर्थन करे। ज़ाहिर है कि इसका अर्थ यह भी नहीं है कि सरकार इस मामले में कुछ ठोस कदम उठाएगी। पर कम से कम जब हम राजनैतिक सत्ताधारियों से बातचीत करते हैं, उस वक्त हमारे पास उल्लेख करने को कुछ तो होगा जिसके कारण वे हमें सिरफिरे नहीं मानेंगे। इन विचारों को सम्मानजनक बना देने भर से उन पर ठोस कार्यवाही तो सुनिश्चित नहीं होगी, पर अगर वे सम्मानजनक न दिखें तो कोई कार्यवाही कभी होगी ही नहीं।

टाइम में छपे आलेख के अगले भाग में, जिसका शीर्षक था "इफ यू कैन फाइंड इट", सम्भावित कदमों में से एक ऐसे कदम का सुझाव था जो हम संघीय स्तर पर या अपने शहरों तथा राज्यों में उठा सकते हैं:

> गत तीन वर्षों से कनाडा की सरकार ने "युवाओं के लिए अवसर" (औपर्च्यूनिटीस फॉर यूथ) नाम से एक नवाचारी कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इस कार्यक्रम में युवा जिस तरह के काम करना चाहते हैं, वे उन्हें सोचते और करते हैं, जैसे मुसीबत में फँसे साइकिल चालकों की सहायता के लिए गश्ती दल या निम्न आय वर्ग के बच्चों के लिए दिवा शिविर आदि।

ये काम या कार्यक्रम स्कूलों द्वारा नियंत्रित नहीं होने चाहिए, अन्यथा वे स्कूल

में अच्छे प्रदर्शन का पुरस्कार बन जाएँगे। और तब वह होगा जो आज तक सभी मौजूदा "सम्वर्धन कार्यक्रमों" में होता है - जिन्हें इन अवसरों की सर्वाधिक ज़रूरत होगी, उन्हें ही ये सबसे कम मिलेंगे।

आज भी तमाम ऐसे संगठन हैं जिन्हें युवाओं से मदद की ज़रूरत है और जो इसका स्वागत करेंगे - छोटे अखबार तथा पत्रिकाएँ, फिल्म या नाट्य समूह, छोटे स्वतंत्र स्कूल और वे संगठन जो कम लोकप्रिय मुद्दों पर कार्यरत हैं। ऐसे संगठनों की ढेरों सूचियाँ और निर्देशिकाएँ उपलब्ध हैं जहाँ काम किया जा सकता है। इनमें से पहली निर्देशिका थी "वोकेशन्स फॉर सोश्यल चेंज ऑफ कैन्यॉन" (कैन्यॉन के सामाजिक बदलाव के लिए व्यवसाय), जिसमें कैलीफोर्निया की सूचनाएँ थीं। तब से ऐसी कई पुस्तकें छप चुकी हैं। इनकी संख्या इतनी अधिक है कि *समव्हैयर एल्स* शीर्षक से एक प्रकाशन तो इन्हीं तमाम स्रोतों को सूचीबद्ध करता है। अधिकांश बड़े शहरों में या कॉलेज/विश्वविद्यालयों वाले कस्बों में कुछ किताबों की दुकानों में ऐसी जानकारी उपलब्ध है। कई किशोर और युवा ऐसी संस्थाओं के साथ अवैतनिक काम करना और भी पसन्द करेंगे अगर उन्हें इसके बदले स्कूलों में अंक मिल सकें। या अंक न भी मिलें पर ऐसा करने के बदले में वे स्कूलों से कानूनन छुटकारा पा सकें। स्कूल उपस्थिति की अनिवार्यता सम्बन्धी हमारे कानून इसे सम्भव बनाने के लिए बदले जाने चाहिए।

साथ ही हम विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं में युवाओं के नागरिक अधिकारों के घोर उल्लंघनों को सुधारने के लिए भी कुछ कर सकते हैं। इनमें सबसे भयानक है स्कूलों में दिया जाने वाला "शारीरिक दण्ड" जिसे हम शायद बच्चों पर वयस्कों द्वारा किया जाने वाला कानून सम्मत हमला भी कह सकते हैं। और अमूमन ये पिटने वाले बच्चे निर्धन या अल्पसंख्यक परिवारों से होते हैं। यह परिपाटी अधिकांश राज्यों में, कम से कम कुछ समय पहले तक, कानूनी रूप से मान्य थी और मैसाच्यूसेट्स में इसका खूब प्रचलन था, जहाँ अब यह गैर-कानूनी है। इस नृशंस और भयावह तरीके के विषय में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। खासकर जौनैथन कोज़ोल की पुस्तक *डेथ एट एन अर्ली एज* में। अतः इस पर बहुत कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब शारीरिक दण्ड समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति का भी गठन किया जा चुका है। समिति एक समाचार पत्रिका भी छापती है (सम्पादक हैं, एमरी विश्वविद्यालय, एटलांटा की डौना हज़ूरी)। एक दूसरी समिति है, भावी पीढ़ी पर हिंसा समाप्ति समिति (कमिटी टू एण्ड वायलेन्स अगेन्स्ट द नेक्स्ट जेनेरेशन) जो कैलीफोर्निया के बर्कले शहर में स्थित है।

व्यापक अर्थों में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून भविष्य में युवाओं

को वयस्कों से अधिक दण्ड न दे। या कोई अपराध या कृत्य किए बिना ही सरकार के चंगुल में फँसे युवाओं से नृशंस व्यवहार के बदले मानवीय व्यवहार हो। इन उद्देश्यों की दिशा में काम कर रहा संगठन है बाल न्याय संस्थान (इन्स्टिट्यूट फॉर जुवेनाइल जस्टिस)। यह न्यूयॉर्क में है।

कुछ विधान सभाओं में उन अधिकारों के बिल प्रस्तुत करवाने की चेष्टा करना भी उपयोगी होगा जो मैंने प्रस्तावित किए हैं। चाहे उनके पारित होने की सम्भावना पहले न भी हो। इससे इन प्रस्तावों पर बातचीत होगी। लोगों का कुछ ध्यान आकर्षित होगा। विधानसभाओं की समितियों के समक्ष लोग अपने बयान दे सकेंगे। कुछ सहृदय विधायक भी मिलेंगे जिनके साथ हम भविष्य में इन नियमों के लिए काम कर सकेंगे।

इसके अलावा कुछ नियम निकट भविष्य में राजनैतिक रूप से सम्भव लगते हैं। सम्भव है कि हम धीमे-धीमे कानूनी वयस्कता की आयु को अठारह वर्ष घोषित करवा सकें। ऐसे कानून पारित करवा सकें जो काम करने का अधिकार, अठारह वर्ष या उससे भी पहले स्वतंत्र नागरिकों के रूप में जीने का अधिकार, उन युवाओं को दिलवा सकें जिनके परिवार नहीं हैं और जो राज्य के अभिभावकत्व में या उसकी कैद में जीने को मजबूर हैं। शायद हम ऐसा नियम भी पारित करवा सकें जैसा मैसाच्यूसेट्स में पारित किया गया था। इसके तहत स्कूलों के लिए यह अनिवार्य बनाया गया कि वे बच्चों के माता-पिता को या स्वयं बच्चों को भी (अगर वे अठारह वर्ष के हैं) स्कूल के सभी रिकॉर्ड उपलब्ध करवाएँ। और तब यह चेष्टा करें कि उससे भी कम उम्र के बच्चों के रिकॉर्ड भी उपलब्ध हों। हम वयस्कों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज़ करने के बच्चों के अधिकार के विषय में भी कोशिश कर सकते हैं। यह खासकर उन मामलों में उपयोगी होगा जो बच्चों के शोषण से सम्बन्धित हैं। कोई भी माता-पिता, चाहे वे कितने भी गर्म मिज़ाज क्यों न हों, बच्चे को सीढ़ियों से लुढ़काने या खिड़की से धकेलने की हिम्मत नहीं करेंगे जब वे यह जानते होंगे कि अगर बच्चा ज़िन्दा रहा तो उन पर मुकदमा कर सकता है, या खामियाज़े का दावा कर सकता है। दरअसल करने को तो बहुत कुछ है।

मैं उसी बात से समाप्त करता हूँ जो आशा है मैं स्पष्ट भी कर चुका हूँ। मैं यह बखूबी जानता हूँ कि आधुनिक बाल्यावस्था वयस्कों और बच्चों दोनों के लिए कठिन है। बच्चे को पालना उतना ही कठिन है जितना बच्चा होना। और यह दिन-ब-दिन अधिक कठिन होता जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि मैं जो प्रस्तावित कर रहा हूँ उससे दोनों के लिए कुछ आसानी सम्भव होगी।

जॉन होल्ट (1923-1985)

जॉन होल्ट का जन्म न्यू यॉर्क में हुआ था। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान वे अमरीकी नौसेना में रहे। बाद में वे विश्व सरकार आन्दोलन से जुड़े और अन्ततः संयुक्त विश्व संघवादियों की न्यू यॉर्क राज्य शाखा के कार्यकारी निदेशक बने। उन्होंने कॉलरेडो और मैसाच्युसेट्स के विभिन्न स्कूलों में पढ़ाया। वे हार्वर्ड ग्रैज्युएट स्कूल ऑफ एज्यूकेशन और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कले में विज़िटिंग लेक्चरर भी रहे। वे होम स्कूलिंग मूवमेंट के अग्रणी प्रवक्ता थे और तमाम वैधानिक संस्थानों के समक्ष इस बाबत ठोस साक्ष्य भी प्रस्तुत करते रहे। अपने बच्चों को घर पर ही शिक्षा दे रहे अभिभावकों के लिए वे *ग्रोइंग विदाउट स्कूलिंग* नामक एक पत्रिका निकालते थे। जॉन होल्ट एक समर्पित चेलो वादक भी थे।

उन्होंने शिक्षा सम्बन्धी कई पुस्तकें लिखीं, मसलन *हाऊ चिल्ड्रन लर्न, हाऊ चिल्ड्रन फेल, फ्रीडम एण्ड बियॉन्ड, द अण्डर-अचीविंग स्कूल, इंस्टेड ऑफ एजुकेशन, नेवर टू लेट* और *टीच यॉर ओन*। उनके लेख और समीक्षाएँ *द न्यू यॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स, बुक वीक, लुक* और *पीस न्यूज़* (लन्दन) जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं।

एकलव्य : एक परिचय

एकलव्य एक स्वैच्छिक संस्था है जो पिछले कई वर्षों से शिक्षा एवं जनविज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही है।

एकलव्य का मुख्य उद्देश्य है ऐसी शिक्षा का विकास करना जो बच्चे व उसके पर्यावरण से जुड़ी हो, जो खेल, गतिविधि व सृजनात्मक पहलुओं पर आधारित हो। एकलव्य ने अपने काम के दौरान पाया कि स्कूली प्रयास तभी सार्थक हो सकते हैं जब बच्चों को स्कूली समय के बाद घर में भी रचनात्मक गतिविधियों के साधन उपलब्ध हों। किताबें तथा पत्रिकाएँ ऐसे साधनों का एक अहम हिस्सा हैं।

पिछले कुछ वर्षों में एकलव्य ने अपने काम का विस्तार प्रकाशन के क्षेत्र में भी किया है। एकलव्य के नियमित प्रकाशन हैं - मासिक बाल विज्ञान पत्रिका *चकमक*, विज्ञान एवं टेक्नॉलॉजी फीचर *स्रोत* तथा शैक्षिक पत्रिका *संदर्भ*। शिक्षा, जनविज्ञान एवं बच्चों के लिए सृजनात्मक गतिविधियों के अलावा विकास के व्यापक मुद्दों से जुड़ी किताबें, पुस्तिकाएँ तथा सामग्री आदि भी एकलव्य ने विकसित एवं प्रकाशित की है।

एकलव्य द्वारा प्रकाशित जॉन होल्ट की अन्य पुस्तकें:

बच्चे असफल कैसे होते हैं?

Escape from Childhood

The Under-achieving School*

असफल स्कूल*

---

* शीघ्र प्रकाश्य